OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
HIMACHAL PRADESH POLICE HEADQUARTER
SHIMLA-171002
***

No.PII (3) Rec./Const/(1023 M+311 FM)/427/2021- 18585 **Dated:** 10-9-2021

RECRUITMENT NOTICE FOR THE POST OF CONSTABLES

References (copies enclosed):

(i) H.P. Government letter No. Home (A) B (2)-2/2020 dated 24-12-2020.
(ii) H.P. Government letter No. Home (A) B (2)-2/2020 dated 04.09.2021.
(iii) H.P. Government Notification No. Home (A) A (3)-2/2020 dated 05-08-2021.
(iv) H.P Government Department of Personnel Notification (AP- III) No. PER (AP)-C-F (1)-1/2011 dated 22-10-2018.
(v) H.P Government Department of Personnel Notification (AP-III) No.PER (AP)-C-F (1)-3-2001 dated 22-1-2002.
(vi) H.P Government Home Department Notification Home-A-A (3-4/2011) Dated: 30-7-2013 and amended as per HP Government Notification No.Home (A) A (3)-2/2020 dated 5-8-2021.

GENERAL

1. Applications are invited in the online format for recruitment to the posts of constables in Himachal Pradesh Police Department in the following pay scales, as per References (i) & (ii):-

(a) Rs. 5910-20200+ Grade Pay Rs. 1900/-(initial start Rs.7810/-)
(b) And after 08 years of regular service Pay Band will be Rs. 10300-34800+Rs.3200/-Grade Pay.

MINIMUM ELIGIBILITY STANDARDS

2. The desirous candidate are required to fulfil the minimum eligibility standards as laid down in Reference –(iii).The candidate should be a bonafide resident of Himachal Pradesh.The category wise minimum qualifying criteria is as follows:

S.No	Category	Age (in years)	Minimum Educational qualification	Minimum Height (Infeet & inches)		Minimum Chest (for male candidates only) (in inches)
				Male	Female	
1.	General	18 to 25	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	SC/ST	18 to 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	OBC	18 to 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"

S.Kundal

4.	Gorkhas	18 to 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	Home Guards(General/OBC)	20 to 28	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	Home Guards(SC/ST)	20 to 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
7.	Home Guards(Gorkhas)	20 to 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	Distinguished Sportsmen (General/OBC)	18 to 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	Distinguished Sportsmen (SC/ST)	18 to 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	Distinguished Sportsmen (Gorkhas)	18 to 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"

Note:

- The educational qualification for appointment to the post of Constable reserved for Ex-Servicemen category shall be Matric as notified vide Reference – (iii).
- As the standards mentioned above are compulsorily required for being eligible for recruitment. The candidates who do not meet the physical standards as mentioned above need not apply.

CUTOFF DATE FOR ELIGIBILITY: -

3. The following shall be the determination of cut off dates for the eligibility:-

(i) The cutoff date for calculation of upper and lower age is **31-10-2021 (for all categories).**

(ii) Candidate should possess minimum education qualification as on **31-10-2021**.

(iii) All the relevant certificates,on which the candidate wishes to place reliance, which inter-alia include Himachali bonafide; reserved category certificates; heavy transport driving license (for the post of Male Constable Driver only) etc. should be valid as on **31-10-2021.**

(iv) Only such candidates can apply who are Bonafide Himachali as on 31-10-2021.

SUBMISSION OF ONLINE RECRUITMENT APPLICATION (ORA)

4. Desirous candidates shall submit applications in the prescribed online format w.e.f. **1st October,2021 to 31st October, 2021** (including in Tribal Districts of Lahaul & Spiti and Kinnaur).

The **Link/URL for applying online is:-**

www.recruitment.hppolice.gov.in

This Link/URL will remain open from 0800 hrs on 1st October to 0800 hrs on 31st October, 2021.

(a) The category and other details filled by the candidate in application form will be taken as final and will not be re-considered or changed during the further recruitment process.

(b) Incomplete ORA submitted without requisite examination fee, scanned photograph and scanned signatures of prescribed size, will be rejected straightaway.

(c) ORA will be considered only in respect of vacancies of the district in which the applicant is ordinarily resident according to the Bonafide Himachali Certificate obtained by the candidates. Further, a candidate shall only be considered against the district shown as his residence in the Bonafide Himachali Certificate.

(d) No certificate or copies of certificates will be attached with the ORA. Instead every applicant will give an undertaking that the information furnished by him/her in the ORA is true and correct. The actual verification of original certificates will be done only in respect of candidates who are called for "Scrutiny and Evaluation" ie Stage 6 as mentioned below in recruitment procedure and any applicant who makes incorrect or false declaration shall stand disqualified automatically at that stage.

FEE DEPOSITION

5. Fees as under will be charged from the candidates. This include Rs. 100/- as "COVID-19 protocol implementation fee".

(a) A processing fee of Rs. 200+100=300/-(Three Hundred) only will be charged from the following categories:-
   - (i) General Category
   - (ii) Gorkhas
   - (iii) Home Guards(General/Gorkhas)

(b) A processing fee of Rs 50+100=150/-(One hundred and fifty) only will be charged from the following categories :-
   - (i) Candidates belonging to SC/ST/OBC/BPL/EWS
   - (ii) Women
   - (iii) Home Guards(OBC/SC/ST)

PAYMENT GATEWAY

6. The candidates have an option to submit the required application fees through online or offline mode. The HP Police Department has collaborated with the State Bank of India to facilitate the payment of application fees.

(a) **Online mode** – This may be done through e-pay gateway linked with the recruitment URL in the HP Police Department website.

(b) **Offline mode**: By depositing the fee amount through cash at any branch of SBI. The candidate shall retain a copy of the challan through which he/she has made physical payment in the SBI branch.

The details of the payment mechanism will be notified separately.

VACANCIES

7. The total number of vacancies as per References above is as follows:

(a) General Duty Constables

Total number of vacancies	Male	Female
1243	932	311

(b) Constable Drivers (Male) = 91

(c) Total (a) + (b) = 1334

8. The district-wise distribution of posts to be filled up is given as under:-

S. No.	Name of District	General Duty Constable		Constable (Driver)	Total
		Male (a)	Female (b)	Male (c)	(a)+(b)+(c)
1.	Bilaspur	52	17	05	74
2.	Chamba	71	24	07	102
3.	Hamirpur	62	21	06	89
4.	Kangra	205	68	20	293
5.	Kinnaur	11	04	01	16
6.	Kullu	60	20	06	86
7.	L&S	04	01	0	05
8.	Mandi	136	45	13	194
9.	Shimla	110	37	11	158
10.	Sirmour	72	24	07	103
11.	Solan	78	26	08	112
12.	Una	71	24	07	102
Total		**932**	**311**	**91**	**1334**

Further district wise and category wise reservation of vacancies will be notified as per the reservation roster and policy of the HP Government in vogue.

THE RECRUITMENT PROCEDURE

9. The recruitment is a 6 stage process. It will be held at all the District Headquarters in H.P by the District Recruitment Committee (here in after referred as DRC). The dates for recruitment will be notified separately. The recruitment procedure is as follows:

A Kundy

(a) **Stage – 1: Submission of Online Recruitment Application (ORA), deposition of fees.**

(b) **Stage– 2 : Individual DRC shall notify the recruitment schedule and place.**

(c) **Stage -3: Physical standard test.**

The DRC shall carry out the screening of the candidates for the mentioned physical standards. The applicants are required to fulfil the minimum eligibility physical standards. This scrutiny shall be conducted at every District Headquarter for all the candidates who have successfully submitted the online application form and have successfully submitted the fees as prescribed. The dates for screening of physical standards shall be notified separately for each district. This process will be video graphed.

The category wise minimum qualifying criteria as laid down in Reference – iii and stated in para – 2 earlier is reiterated as follows:

Sr. No	Category	Minimum Height (in feet & inches)		Minimum Chest (for male candidates only) (in inches)
		Male	Female	
1.	General	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	SC/ST	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	OBC	5'-6"	5'-2"	31"X32"
4.	Gorkhas	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	Home Guards (General/OBC)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	Home Guards(SC/ST)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
7.	Home Guards(Gorkhas)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	Distinguished Sportsmen (General/OBC)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	Distinguished Sportsmen(SC/ST)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	Distinguished Sportsmen(Gorkhas)	5'-4"	5'-0"	29"X30"

Only those candidates who shall qualify the minimum physical standards as mentioned above will be allowed to proceed for next stage of the recruitment.

(d) **Marks for height (maximum up to 5 Marks):** As laid down in Reference- iii, the candidates will be awarded marks (maximum upto 5 marks) as indicated in the table below for possessing height over and above the minimum

qualifying criteria as per existing recruitment procedure. These marks will be counted in the final merit of the candidates:-

S.No.	Height for male candidate(in feet & inches)	Height for female candidate(in feet & inches)	Marks
1.	Less than 5'-7"	Less than 5'-2"	0 Mark
2.	5'-7" but less than 5'-8"	5'-2" but less than 5'-3"	1 Mark
3.	5'-8" but less than 5'-9"	5'-3" but less than 5'-4"	2 Marks
4	5'-9" but less than 5'-10"	5'-4" but less than 5'-5"	3 Marks
5	5'-10" but less than 5'-11"	5'-5" but less than 5'-6"	4 Marks
6.	5'-11" and above	5'-6" and above	5 Marks

List of candidates who are found eligible for as per physical standards will be put up on the notice board in the District S.P. Office by the committee immediately after completion of physical standards test and qualified candidates shall be called for Stage – 4.

(e) Stage – 4 Physical Efficiency Test, (PET)which will be of qualifying nature.

The candidates who qualify Stage – 3 shall be required to go through a Physical Efficiency Test (PET). This test will be conducted at all the District Headquarters. The dates for PET will be decided by the DRC for every District. The dates for PET will be fixed by DRC in such a manner that the number of candidates appearing on a given day stays manageable, especially with respect to COVID protocol management.

The events and the qualifying criteria for PETare mentioned below:

S.No.	Event	Minimum qualifying standard for Male candidate.	Minimum qualifying standard for Female candidate.
1.	• 1500 Meters Race for Male • (800 Meters Race for Female)	6 Minutes 30 Seconds. (No additional attempt is allowed)	4 Minutes 15 Seconds. (No additional attempt is allowed)
2.	High Jump	1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Minimum 1 Meter. (Maximum three attempts are allowed)
3.	Broad Jump	4 Meters	3 Meters

Note:-

(i) The PET will be qualifying in nature only. No marks will be awarded to the candidates based on their performance in the PET.
(ii) Request for change of date of PET will not be entertained.
(iii) Candidate who fails to qualify in any event/parameter will be disqualified forthwith and will not participate in the subsequent event.
(iv) The dope test shall be carried out to detect narcotics opiates at the outset of PET during the recruitment.
(v) Videography of the outdoor Physical Efficiency test will be will be done for the sake of transparency.
(vi) A **Basic list** including candidate's name, allotted registration number and marks scored in the Physical Standard Test will be prepared. The list shall be published online and displayed on the Notice Board of the concerned District S.P.Office and qualified candidates shall report for stage-5 on the appointed date, time and venue.

(f) Stage -5:Written Examination (80 Marks)

Written examination for all those candidates who have qualified the Stage- 4will be held in the respective districts, preferably on the same day for all districts. Written examination shall be of 80 marks. The duration of the test will be 60 minutes. It will consist of objective type questions from following subjects:-

S.No	Subjects	No of questions	Syllabus
1.	English language	16 questions	10+2 standard
2.	Hindi language	16 questions	10+2 standard
3.	General Awareness	16 questions	10+2 standard
4.	Mathematics & Science	16 questions	Mathematics of 10th standard, Science 10+2 standard
5.	Reasoning Aptitude	16 questions	10+2 standard

Minimum qualifying marks:-
(a) For SC/ST candidates = 40%
(b) For all other categories = 50 %

This process will be video graphed.

The result of the written examination shall be put up online and also displayed on the Notice Board of the concerned District S.P. Office displaying marks secured by all the candidates (out of a maximum of 80 marks) who appeared in the written examination).

(g) Stage – 6 Scrutiny of documents and award of marks for certificates (15 Marks) :

Stage 6 shall be in two parts:

(a) Scrutiny of all documents related to eligibility for the post of Constables. The burden of producing documents determining the eligibility of the

candidates shall rest on the applicant. The absence of any certificate which entitles the candidate to be considered as special class/ category, shall make the candidate ineligible for such consideration.

(b) Evaluation with respect to 15 marks, on account of special certificates earned by the candidates, shall be carried out as per the following criteria as elaborated in Reference -iii

S.No	Criteria	Maximum Marks
(i)	Weightage for the minimum educational qualification as per the provision of sub- rules (1) and (2) of rule 8 {percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, (a) If the candidate has secured 50% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.25 marks (50 x 0.025= 1.25) (b) If the candidate has secured 60% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.50 marks (60 x 0.025= 1.50) (c) And so on.	2.5(Two & a half)
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. To be notified by the competent authority	1(One)
(iii)	Landless family/ family having land less than 1 Hectare. To be certified by the concerned Revenue Authority.	1(One)
(iv)	**NSS** (at least one year) = 1 mark per year completed (up to a maximum of 4). **NCC Certificates will be given a weightage of** : (a) NCC (C) certificate = 4, (b) NCC (B) Certificate= 2 (c) NCC (A) certificate = 1. A Candidate, who has all these certificates, will be given marks only for NCC (C) Certificate **Bharat Scout and Guide** =1 (minimum eligibility is one year)	4 (Four)
(v)	Candidate possessing LMV driving license.	1.5 (one and a half)
(vi)	Candidate possessing following certificates in Sports asnotified by Department of Personnel will be awarded marks as follows: a) International Level = 4 Marks b) National Level =3 Marks c) State level =2 Marks The category of sports would be as mentioned in	4 (Four)

(vii)	Medal winner of International/Olympic/National level sports competition as mentioned in Reference - v.	1 (One)
	Total	**15**

FINAL MERIT:-

After the above steps, the final merit list of the candidates shall be prepared out of a maximum of 100 marks as follows:

S.No	Stages of recruitment	Maximum Marks
(i)	Height	5
(ii)	Written test	80
(iii)	Evaluation on examination of certificates	15
	Grand Total	**100**

The final result showing the marks obtained in each of the three stages (i) + (ii) + (iii), out of 100 marks and also including the position of respective reserved categories shall be put up online and displayed in respect of all the candidates who appeared for the Scrutiny and Evaluation of documents on the Notice Board of the District S.P. office immediately after completion of Stage – 6.

(h) Stage–7 Medical Examination:

The selected candidates shall undergo a medical examination by the Medical Board constituted by the Superintendent of Police with the consultation of Chief Medical Officer as per Reference -iii.The terms and specification for the Medical Board be defined as per Reference – vi. Further, it is clarified that:

The female candidate found pregnant at the time of Medical Examination shall be considered temporary unfit and shall re-appear for Medical Examination after her post-partum period of forty two days after delivery.

(i) Medically unfit candidates shall be informed of the rejection of their candidature. The result of the Medical Examination shall be displayed on the Notice Board of District S.P. concerned.

(ii) An appeal against the Medical Report may be filed before the concerned District Superintendent of Police within 7 days of the display of the result of Medical Examination. The Superintendent of Police concerned shall cause a Review Medical Board to be constituted by the Chief Medical Officer of the concerned district. This Board shall submit its report within 30 days.

(iii) Suitable candidates from the waiting list shall be substituted in the place of the candidates who have been finally declared medically unfit.

(i) Stage -8 Verification of Character & antecedent

(i) The verification of character and antecedents of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out through concerned District Police but the process for issuance of appointment

concerned District Police but the process for issuance of appointment letters will not be withheld due to pendency of such verification. The appointing authority will issue provisional appointment letters after obtaining the filled and duly signed attestation form and self-declaration from the candidate. In case, a candidate is found to have been convicted in a court of law, the candidate shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offence and the period of sentence.

(ii) In case of a candidate against whom :
Scenario – 1: An FIR has been registered and investigation is under process

OR

Scenario – 2: A trial in a criminal case is going on and charges have been framed

The offer of appointment may be held in abeyance until:

- The name of the candidate gets cleared from the charge sheet in scenario - 1

OR

- The candidate is honorably acquitted by the court of law in scenario – 2 as mentioned above.

Such a candidate shall not be deemed to have become overage on this account alone.

(iii) The post left vacant due to either of the cases mentioned in point (i) &(ii)above shall be filled up from the waiting list. The candidate if cleared from charge sheet / honorably acquitted in the court of law as mentioned above, will be offered appointment subsequently on occurrence of vacancy.

ADVISORY FOR CANDIDATES

10. All candidates are advised to exercise fair means during the process of recruitment. If any candidate is found involved in foul means, which inter alia includes impersonation/ producing of fake documents / furnishing false information to the Police Department , he/she will not only be disqualified from the recruitment procedure but also criminal proceedings shall be initiated against him/her as per law. Further, all the candidates are advised to apply for the form well in time and not wait till the closing date approaches to avoid technical issues due to heavy load on the website.

FOLLOW-UP INSTRUCTIONS

11. The following will be notified in due course of time:

- Necessary instruction regarding filling up of online application forms.
- Necessary instructions regarding deposition of fees.

- District wise and category wise allocation of vacancies as per HP Government instructions in vogue will be notified separately.
- Self Declaration Certificate by the Candidate: The candidate shall also submit Self Declaration Form:
  (a) that information furnished by him/ her at the time of submission of form is correct.
  (b) that his character antecedents are good and he is not facing any criminal investigation or trial and has not been convicted by any court of law in India.

THE HINDI VERSION WILL FOLLOW.

Director General of Police
Himachal Pradesh Shimla-2.

कार्यालय
पुलिस महानिदेशक
हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय
शिमला-171002

संख्याःPII(3)भर्ती / आरक्षी(1023 पु0-311म0)/427-2021- 18905 दिनांकः 20-9-2021

आरक्षी के पद के लिए भर्ती सूचना

संदर्भ (प्रतियां संलग्न)

i) हि0प्र0 सरकार पत्र संख्या होम (ए) बी (2)-2/2020 दिनांक 24-12-2020
ii) हि0प्र0 सरकार पत्र संख्या होम (ए) बी (2)-2/2020 दिनांक 04-09-2021
iii) हि0प्र0 सरकार अधिसूचना संख्या होम (ए) ए (3)-2/2020दिनांक 05-08-2021
iv) हि0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग अधिसूचना पत्र संख्या होम (एपी-III) नं0 PER(एपी)-सी.एफ.(1)-1-2011 दिनांक 22-01-2018
v) हि0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग अधिसूचना पत्र संख्या होम (एपी-III) नं0 PER (एपी)-सी.एफ.(1)-3-2001 दिनांक 22-01-2002
vi) हि0प्र0 सरकार अधिसूचना संख्या होम-ए.ए (3-4/2011) दिनांक 30-07-2013 एवं संशोधित अधिसूचना हि0प्र0 सरकार संख्या होम (ए) ए (3)-2/2020 दिनांक 05-08-2021

1. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षियों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित वेतनमानों में संदर्भ 1 और 2 के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं:–

(अ) रुपये 5910–20200 + ग्रेड पे रु. 1900/– (शुरुआती रु. 7810/–)

(ब) 08 साल की नियमित सेवा के बाद पे बैंड रु 10300–34800+रु.3200/–ग्रेड पे

न्यूनतम योग्यता स्तरः

2. इच्छुक उम्मीदवारोंको निर्धारित न्यूनतम योग्यता पात्रता नीचे दिए गए संदर्भ-III के अनुसार पूरी करनी आवश्यक है। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता मानदंड निम्नानुसार हैः–

क0 सं0	जाति	आयु (वर्ष में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम उंचाई (फुट और ईंच में)		न्यूनतम छाती(केवल पुरूष उम्मीदवार के लिए) (ईंचिज में)
				पुरूष	महिला	
1.	सामान्य	18 से 25	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	एस.सी/एस.टी.	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	ओ.बी.सी	18 से 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
4.	गोरखा	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	गृह रक्षक (सामान्य/ ओ.बी.सी.)	20 से 28	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	गृह रक्षक (एस.	20 से 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"

संजय

	सी./एस.टी./ ओ. बी.सी.)					
7.	गृह रक्षक (गोरखा)	20 से 28	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	असाधारण खिलाड़ी(सामान्य/ ओ.बी.सी.)	18 से 27	10+2	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	असाधारण खिलाड़ी(एस.सी. /एस.टी.)	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	असाधारण खिलाड़ी गोरखा	18 से 27	10+2	5'-4"	5'-0"	29"X30"

टिप्पणी:

- भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता संदर्भ–III की अधिसूचनानुसार अनुसार मैट्रिक होगी।
- चूंकि भर्ती की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित मानक आवश्यक हैं। उपरोक्त वर्णित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

पात्रता के लिए अन्तिम (कटऑफ) तिथि: –

3. पात्रता के लिए अन्तिम (कटऑफ) तिथि का निर्धारण निम्नलिखित होगा:–

(i) ऊपरी और निचली आयु की गणना के लिए कटऑफ तिथि 31–10–2021 (सभी श्रेणियों के लिए) है।

(ii) उम्मीदवार के पास पूर्ण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तिथि 31–10–2021 तक पूरी होनी चाहिए।

(iii) सभी संबंधित प्रमाण पत्र, जो उम्मीदवार प्रस्तुत करते है, जिसमें अन्य प्रमाणपत्रों के साथ–साथ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र शामिल, आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र तथा भारी परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस (केवल पुरुष कांस्टेबल चालक के पद के लिए) आदि 31–10–2021 को मान्य होने चाहिए।

(iv) केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते है जो दिनांक 31–10–2021 तक हिमाचली बोनाफाइड में शामिल हैं।

ऑनलाईन आवेदनपत्र जमा करना (ORA)

4. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में 01अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक (लाहौल–स्पीति और किन्नौर के जनजातीय जिलों सहित) आवेदन जमा करेंगे । ऑनलाईन आवेदन करने के लिए लिंक/यूआरएल निम्न है:–

www.recruitment.hppolice.gov.in

यह लिंक/यूआरएल 01 अक्टूबर को 0800 बजे से 31 अक्टूबर 2021 को 0800 बजे तक सकिय रहेगा।

(अ) उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में जो भी श्रेणी एवं अन्य विवरण भरा जाएगा वह अन्तिम माना जायेगा और उसमें आगामी भर्ती प्रकिया के दौरान न तो बदलाव किया जा सकेगा और ना ही उस पर पुर्नविचार किया जाएगा।

(ब) अपूर्ण और बिना प्रस्तावित परीक्षा फीस, स्कैन गिए गए फोटोग्राफ और निर्धारित आकार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा ।

(स) ORA (Online Recruitment Application) पर केवल उस जिले की रिक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिसमें आवेदक मूल हिमाचली प्रमाण पत्र के अनुसार निवासी हैं । इसके अतिरिक्त एक उम्मीदवार को केवल उस जिले, से माना जाएगा जो उसके मूल हिमाचली प्रमाण पत्र में उसके निवास के रूप में दिखाया गया है ।

(ड) ORA के साथ कोई भी प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न नहीं की जाऐंगी । इसकी जगह आवेदनकर्ता वचनबद्वता देगा कि उसके द्वारा ORA में दी गई जानकारी सत्य और प्रमाणिक है । मूल प्रमाणपत्रों का वास्तविक सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में किया जाएगा जिन्हें जांच व मुल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि चरण 6 में भर्ती प्रकिया में नीचे उल्लेख किया गया है और कोई भी आवेदक जो गलत और झूठी जानकारी देता है वह स्वतः सीधे तौर पर अयोग्य होगा ।

<u>शुल्क जमा करना</u>

5. उम्मीदवारों से निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा। (इसमें रुपये 100/– "कोविड–19" प्रोटोकॉल कार्यान्वयन शुल्क भी शामिल है)

(अ) प्रसंस्करण शुल्क 200+100=300/– (तीन सौ रू0) केवल निम्नलिखित श्रेणियों से लिए जायेंगे:–

(i) सामान्य श्रेणी

(ii) गोरखा

(iii) होमगार्ड (सामान्य/गोरखा)

(iv) विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/गोरखा)

(ब) निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रत्येक उम्मीदवार से केवल 50+100=150 (एक सौ पचास रू0) का प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा:–

(i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / बीपीएल से संबंधित उम्मीदवार।

(ii) होमगार्ड (ओबीसी/एससी/एसटी)।

(iii) प्रतिष्ठित खिलाड़ी (ओबीसी/एससी/एसटी)।

6. <u>शुल्क अदायगी का तरीका (भुगतान तंत्र)</u>

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवश्यक आवेदन शुल्क जमा करने के विकल्प हैं। हिमाचल पुलिस विभाग ने आवेदन शुल्क के भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोग किया है।

(अ) ऑनलाइन मोड – यह हि0पु0 विभाग की वेबसाइट में भर्ती यूआरएल से जुड़े ई–पे गेटवे (GATEWAY) के माध्यम से किया जा सकता है।

(ब) ऑफलाइन मोड मे एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद शुल्क राशि जमा की जा सकती है। उम्मीदवार उस चालान की एक प्रति अपने पास रखेंगे जिसके माध्यम से उन्होंने एसबीआई शाखा में भौतिक भुगतान किया है।

भुगतान तंत्र का विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

<u>रिक्त पदः</u>

7. उपरोक्त संदर्भ के अनुसार रिक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार हैः

(अ) जनरल ड्यूटी कांस्टेबल

रिक्तियों की कुल संख्या	पुरूष	महिला
1243	932	311

(ब) आरक्षी चालक, पुरूष = 91

(स) कुल (अ+ब) = 1334

8. भरे जाने वाले पदों का जिलावार विवरण निम्नलिखित है :–

क0सं0	जिला का नाम	सामान्य वर्ग आरक्षी		आरक्षी चालक	जोड़
		पुरूष (a)	महिला (b)	पुरूष (c)	(a)+(b)+(c)
1.	बिलासपुर	52	17	05	74
2.	चम्बा	71	24	07	102
3.	हमीरपुर	62	21	06	89
4.	कांगड़ा	205	68	20	293
5.	किन्नौर	11	04	01	16
6.	कुल्लू	60	20	06	86
7.	लाहौल और स्पीति	04	01	0	05
8.	मण्डी	136	45	13	194
9.	शिमला	110	37	11	158
10.	सिरमौर	72	24	07	103
11.	सोलन	78	26	08	112
12.	उना	71	24	07	102
Total		**932**	**311**	**91**	**1334**

आगे जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियों के आरक्षण रोस्टर हिमाचल सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार अधिसूचित किये जाऐंगे।

भर्ती प्रक्रिया:

9. यह भर्ती एक 6 चरण की प्रक्रिया है। हिमाचल प्रदेश में यह भर्ती सभी जिला मुख्यालयों पर जिला भर्ती समिति {यहां के बाद में जि0म0स0 (DRC) के रूप में सदर्भित} द्वारा आयोजित की जायेगी। भर्ती की तिथियां अलग से अधिसूचित की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

(अ) चरण – 1: ऑनलाइन फॉर्म जमा करना और शुल्क जमा करना।

(ब) चरण – 2: संबंधित डीआरसी द्वारा भर्ती कार्यक्रम और स्थान की सूचना का प्रेषण।

(स) चरण – 3: शारीरिक मानकों के लिए स्क्रीनिंग।

जिला भर्ती समिति उल्लेखित शारीरिक मानकों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। आवेदकों को न्यूनतम शारीरिक मानकों की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है। यह जांच प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क सफलतापूर्वक जमा कर दिया है। प्रत्येक जिले के लिए शारीरिक मानकों की स्क्रीनिंग की तिथियां अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता मानदंड जैसा कि संदर्भ –III में निर्धारित किया गया है और पहले पैरा – 2 में कहा गया है, निम्नानुसार दोहराया जाता है:–

क0 सं0	श्रेणी	न्युनतम उंचाई (फुट एवं ईंच में)		न्युनतम उंचाई(केवल पुरूष उम्मीदवार) (ईंचिज में)
		पुरूष	महिला	
1.	सामान्य	5'-6"	5'-2"	31"X32"
2.	एस.सी/एसटी	5'-4"	5'-0"	29"X30"
3.	ओबीसी	5'-6"	5'-2"	31"X32"
4.	गेरखा	5'-4"	5'-0"	29"X30"
5.	गृह रक्षक (सामान्य/ ओ.बी. सी.)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
6.	गृह रक्षक (एससी/ एसटी.)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
7.	गृह रक्षक (गोरख)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
8.	विशिष्ट खिलाड़(सामान्य/ओबीसी)	5'-6"	5'-2"	31"X32"
9.	विशिष्ट खिलाड़(एससी/एसटी)	5'-4"	5'-0"	29"X30"
10	विशिष्ट खिलाड़(गोरखा)	5'-4"	5'-0"	29"X30"

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी जो ऊपर उल्लेखित न्यूनतम शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे।

(घ) ऊंचाई के लिए अंक (अधिकतम 5 अंक): संदर्भ –3 में निर्धारित, उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक ऊंचाई रखने के लिए नीचे दी गई तालिका में संकेत के अनुसार (अधिकतम 5 अंक) दिए जाएंगे। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के अनुसार इन अंकों की गणना उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता में की जाएगी:–

कम सं0	पुरूष अभयर्थियों के लिए लम्बाई (फुट व ईंच में)	महिला अभयर्थियों के लिए लम्बाई (फुट व ईंच में)	अंक
1.	5'-7"से कम	5'-2" से कम	0 अंक
2.	5'-7" किन्तु 5'-8" से कम	5'-2" किन्तु 5'-3" से कम	1 अंक
3.	5'-8" "किन्तु 5'-9" से कम	5'-3" किन्तु 5'-4" से कम	2 अंक
4	5'-9" किन्तु 5'-10" से कम	5'-4" किन्तु 5'-5" से कम	3 अंक
5	5'-10" किन्तु 5'-11" से कम	5'-5" किन्तु 5'-6" से कम	4 अंक
6.	5'-11" से अधिक	5'-6" से अधिक	5 अंक

(ड) चरण–4 शारीरिक दक्षता परीक्षा, (पीईटी) जो क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।

चरण –3 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा। यह परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी।प्रत्येक जिले के लिए डीआरसी द्वारा (पीईटी) की तारीखें तय की जाएंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तारीखें डीआरसी द्वारा इस तरह से तय की जाएंगी कि किसी दिए गए दिन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रवंध की दृष्टि से अनुकुल हो, विशेष रूप से **COVID–19** प्रोटोकॉल प्रबंधन के अनुसार।

क0सं0	स्पर्धा	पुरूष उम्मीदवार के लिए न्युनतम योग्यता मानक	महिला उम्मीदवार के लिए न्युनतम योग्यता मानक
1.	1500 मी0 दौड़ पुरूषों के लिए (800 मी0 दौड़ महिलाओं के लिए	6 मीनट 30 सैकेण्ड (अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं)	4 मीनट 15 सैकेण्ड (अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं)
2.	ऊची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम 3 प्रयासों की अनुमति)	न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम 3 प्रयासों की अनुमति)
3.	लम्बी कूद	4 मीटर	3 मीटर

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कार्यकम और योग्यता मानदंड निम्न प्रकार से है:–

टिप्पणी

(i) पीईटी केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। पीईटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

(ii) पीईटी की तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) उम्मीदवार जो किसी भी प्रतिस्पर्धा/पैरामीटर में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अन्य आयोजनों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(iv) भर्ती के दौरान पीईटी की शुरुआत में मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए डोप परीक्षण किया जाएगा।

(v) बाह्य शरीरिक दक्षता परीक्षण मे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विडियोग्राफी की जाएगी।

(vi) उम्मदीवारों के नाम मूल सूची (Basic List) और शारीरिक मानक परीक्षण में प्राप्त अंको सहित एक मूल सूची मे आनलाईन प्रकाशित किए जायेंगे और संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे और योग्य उम्मीदवारों को तिथि समय और स्थान पर नियुक्ति चरण –5 के लिए रिर्पोट करने का निर्देश दिया जाएगा।

(च) चरण –5: लिखित परीक्षा (80 अंक)

उन सभी उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा, जिन्होंने चरण –4 में अर्हता प्राप्त की है, संबंधित जिलों में आयोजित की जाएगी, अधिमानतः सभी जिलों के लिए उसी दिन लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे: –

क0 सं0	विषय	प्रश्नों की संख्याा	पाठयक्रम
1.	अंग्रेजी भाषा	16 प्रश्न	10+2 मानक
2.	हिंदी भाषा	16 प्रश्न	10+2 मानक
3.	सामान्य जागरूकता	16 प्रश्न	10+2 मानक
4.	गणित और विज्ञान	16 प्रश्न	गणित 10वीं व विज्ञान 10+2 मानक
5.	तर्क कौशल (अभिक्षमता)	16प्रश्न	10+2 मानक

न्यूनतम योग्यता अंक:–

(अ) एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए = 40%

(ब) अन्य सभी श्रेणियों के लिए = 50%

लिखित परीक्षा (अधिकतम 80 अंकों में से) में उपस्थित सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करते हुए परिणाम हि0 प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला एस पी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(छ) चरण – 6 दस्तावेजों की जांच और प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान करना (15 अंक):

चरण 6 निम्न वर्णित दो भागों में होगा:

(अ) आरक्षी के पद के लिए पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच। उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का भार आवेदक पर होगा। किसी भी प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति होने पर, जिसके आधार पर उम्मीदवार को विशेष वर्ग / श्रेणी के रूप में माना जाता है, उम्मीदवार को इस तरह के विचार के लिए अपात्र माना जाएगा।

(ब) उम्मीदवारों द्वारा अर्जित विशेष प्रमाणपत्रों के आधार पर 15 अंकों का मूल्यांकन, संदर्भ –3 में वर्णित निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

क0 सं0	मानदंड	अधिकतम अंक
(i)	नियम 8 के उप–नियम (1) व (2) के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्व (वेटेज) हेतु शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 0.025 से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, (अ) यदि उम्मीदवार ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50 × 0.025= 1.25) की अनुमति दी जाएगी। (ब) यदि उम्मीदवार ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.50 अंक (60 ×0.025 = 1.50) की अनुमति दी जाएगी। (स) और इसी तरह।	2.5 (ढाई अंक)
(ii)	अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित, जैसा भी मामला हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा है।	1(एक अंक)
(iii)	भूमिहीन परिवार जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।	1(एक अंक)
(iv)	एनएसएस (कम से कम एक वर्ष) = 1 अंक प्रति वर्ष पूरा (अधिकतम 4 तक)। एनसीसी प्रमाणपत्रों को महत्व दिया जाएगा: (अ) एनसीसी (सी) प्रमाण पत्र = 4 (ब) एनसीसी (बी) प्रमाणपत्र = 2 (स) एनसीसी (ए) प्रमाण पत्र = 1 एक उम्मीदवार, जिसके पास ये सभी प्रमाण पत्र होंगे, उन्हें केवल एनसीसी (सी) प्रमाण पत्र के लिए अंक दिए जाएंगे। भारत स्काउट और गाइड = 1 (न्यूनतम पात्रता एक वर्ष है)	4 (चार अंक)
(v)	एल0एम0वी0 ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवार	1.5 (डेढ़ अंक)
(vi)	कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित खेल में निम्नलिखित प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे अ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर – 4 अंक ब) राष्ट्रीय स्तर – 3 अंक स) राज्य स्तर – 2 अंक सन्दर्भ–6 में उल्लिखित खेल की श्रेणी समय–2 पर यथा	4 (चार अंक)

	संशोधित होगी	
(vii)	संदर्भ–7 में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के पदक विजेता	1 (एक अंक)
	कुल अंक	15(पन्द्रह अंक)

अंतिम योग्यताः–

उपरोक्त चरणों के बाद, उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची अधिकतम 100 अंकों में से निम्नानुसार तैयार की जाएगीः

कम0सं0	भर्ती के चरण	अधिकतम अंक
(i)	उचांई	5
(ii)	लिखित परीक्षा	80
(iii)	प्रमाणपत्रों की जांच पर मूल्यांकन	15
	कुल अंक	**100** अंक

तीन चरण मे से प्रत्येक में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला अंतिम परिणाम 100 अंकों में से (i)+(ii)+(iii) और संबंधित आरक्षित श्रेणियों को स्थिति सहित उन सभी उम्मीदवारों के सम्बंध मे आनलाईन प्रदर्शित किया जाएगा जो दस्तावेजों के जांच और मूल्यांकन के लिए उपस्थित हुए थे । चरण 6 पूर्ण होने के वाद फौरन जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

(ज) चरण –7 चिकित्सा परीक्षाः

चयनित उम्मीदवारों को संदर्भ के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा । मेडिकल बोर्ड के लिए नियम और विनिर्देश संदर्भ (iii) एवं (vi)के अनुसार परिभाषित किए जाएंगे – .

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है किः

चिकित्सा जांच के समय गर्भवती पाई गई महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और प्रसव के बाद बयालीस दिनों की प्रसवोत्तर अवधि के बाद चिकित्सा परीक्षा के लिए उन को फिर से उपस्थित होना होगा।

(i) चिकित्सकीय रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा का परिणाम संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) चिकित्सा परीक्षण के परिणाम प्रदर्शित होने के 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष चिकित्सा रिपोर्ट के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। संबंधित पुलिस अधीक्षक संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का गठन करवायेंगे। यह बोर्ड 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iii) अंतिम रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(झ) चरण –8 चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन ।

(i) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व आचरण का सत्यापन संबंधित जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इस तरह के सत्यापन के लंबित होने की स्थिति में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवार से भरा हुआ और विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापन फॉर्म और स्व–घोषणा प्राप्त करने के बाद अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करेगा । यदि किसी उम्मीदवार को अदालत में दोषी पाया जाता है, तो आवेदक/उम्मीदवार को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि कैसी भी हो उस को नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(ii) एक उम्मीदवार के मामले में जिसके खिलाफः

परिदृश्य –1: एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच प्रक्रियाधीन है।

या

परिदृश्य–2: एक आपराधिक मामले में मुकदमा चल रहा है और आरोप तय किए गए हैं

नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तकः

- आरोप पत्र से उम्मीदवार/आवेदक का नाम चार्जशीट में समाप्त नहीं हो जाता है –1

या

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उम्मीदवार को अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है – 2 परिदृश्य में।

किसी भी उम्मीदवार को मात्र इस प्रकार के कारण से हुए विलम्ब के कारण अधिक उम्र का नहीं माना जाएगा।

(iii) उपरोक्त बिंदु (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले के कारण रिक्त हुए पद को प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। यदि उम्मीदवार को आरोप पत्र से बरी कर दिया जाता है / ऊपर वर्णित कानून की अदालत में सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है, तो रिक्ति होने पर बाद में नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

<u>उम्मीदवारों के लिए परामर्श :–</u>

10 सभी उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उचित साधनों का प्रयोग करें। यदि कोई उम्मीदवार बेईमानी में लिप्त पाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिरूपण/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना/पुलिस विभाग को झूठी सूचना देना आदि शामिल हैं तो उसे न केवल भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक कारवाई भी की जाएगी ।

<u>अनुवर्ती निर्देश</u>

11. निम्नलिखित को नियत समय में अधिसूचित किया जाएगाः

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से तैयार किया जायेंगे।
- शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से तैयार किए जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश शासन के प्रचलित निंदेशो के अनुसार जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियों का आबंटन अलग से अधिसूचित किए जायेंगे।

- उम्मीदवार को स्व–घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि फॉर्म जमा करने के समय उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है। उम्मीदवार को पूर्व चरित्र के संबंध में स्व–घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।

(अ) कि फार्म जमा करने के समय उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है ।

(ब) कि उसका पूर्व चरित्र अच्छा है और वह किसी अपराधिक जांच या मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है और उसे भारत में किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया गया है ।

संजय कुंडू

पुलिस महानिदेशक
हिमाचल प्रदेश शिमला–2